न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 180/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मोहरचन्द दत्तक पुत्र धूमी पुत्र घीसाराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांट

बनाम

1. घीसाराम पुत्र स्व0 मामराज पुत्र स्व0 कल्लु जाति गूर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गूर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
2. अजीत
3. सतीस
4. मन्जीत पुत्रान स्व0 शीशराम
5. मुकेश देवी पत्नि स्व0 शीशराम
6. मौसम पुत्री स्व0 शीशराम जाति गूर्जर निवासीगण ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पैरोकार भूमिधारी, तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:------- रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उप जिलाधीश, तिजारा
दिनांक 30.8.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री कमलसिंह रावत

2. वकील रेस्पो0 सं0 1ला06:- श्री सुनील रैना

निर्णय

दिनांक

12-02-2018

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उप जिलाधीश, तिजारा द्वारा राजस्व मुकदमा नम्बर 180/17 में पारित निर्णय दिनांक 30.8.17 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट राजीनामा के अनुसार डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 282 रकबा 33 एयर, 561 रकबा 86 एयर, 569 रकबा 11 एयर, 563 रकबा 22 एयर, 565 रकबा 22 एयर, 567 रकबा 11, 568 रकबा 18 एयर, 562 रकबा 94 एयर, 564 रकबा 3 एयर, 766 रकबा 15 एयर वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर विवादित है । उपरोक्त वर्णित आराजीयात में मुताबिक जमाबन्दीर प्रतिवादीगण्उ संख्या 1 ला0 6 का हिस्सा वाद में विवादित आराजी कहलायेगी । उक्त विवादित आराजी वादी की दादालाई आराजी है । इस आराजीयात पर पूर्व में वादी का दादा कल्लु काबिज व दखिल था तथा उसके मरने के बाद वादी का पिता मामराज व उसका भाई बलदेव काबिज व दखिल है । उक्त विवादित आराजी वादी के पिता मामराज व उसके भाई बलदेव को विरासत में प्राप्त हुई । अब इनका देहान्त हो चुका है । वादी व वादी का भाई अमीलाल अपने पिता मामराज की भूमि 1/2 भाग पर काबिज हो गये तथा बलदेव की आराजी 1/2 भाग पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उसका पुत्र धूमी काबिज हो गया । इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड में अंकन हो गया । वादी का भाई अमीलाल बिला औरत बिला औलाद फौत हो गया तथा धूमी भी लावल्द बिला औरत फौत हो गया । प्रतिवादी संख्या 1 व शीशराम तथा श्रीपाल, जो कि वादी के पुत्रान/वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने विधि विरूद्ध तरीके से धूमी का दत्तक पुत्र बनकर उनके हिस्से की भूमि का राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर अपने नाम अंकन करा लिया । जबकि धूमी व अमीलाल ने अपने जीवनकाल में किसी को भी दत्तक पुत्र नहीं बनाया । उक्त विवादित आराजी वादी के दादा कल्लू की थी और उनके मरने के बाद आराजी वादी व वादी के भाई बलदेव को प्राप्त हुई । बलदेव की आराजी उसके मात्र एक मात्र पुत्र धूमी को प्राप्त हुई । धूमी ने किसी को दत्तक पुत्र नहीं बनाया । वह बिला औरत बिला औलाद फौत हुआ । इसलिये उसका हिस्सा भी वादी में निहित हो गया । इस प्रकार वादी सम्पूर्ण भूमि का हकदार हो गया । परन्तु चालाकी से प्रतिवादी संख्या 1 ला0 6 ने धूमी का का हिस्सा अपने नाम दर्ज करा लिया । दौराने विचारण वाद पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया था, जिसके आधार पर तहत न्यायालय ने वाद डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस बताया कि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है और अदालत श्रीमान के यहां उक्त राजीनामा पेश कर दिया गया है । अतः निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किया जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 ने भी निवेदन किया है कि अगर मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण कर दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा पर गौर किया । राजीनामा में निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी में अपीलांट मोहरचन्द का 1/3 हिस्सा, रेस्पो0 घीसाराम का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पो0 संख्या 2 ला0 6 का 1/3 हिस्सा होगा । रेस्पो0 घीसाराम की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की समस्त भूमि श्रीपाल पुत्र घीसाराम की होगी । चूंकि उक्त राजीनामा के आधार पर कार्यवाही तहत न्यायालय को ही करानी है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

। ऐसी स्थिति में हम राजीनामा के आधार पर न्यायसंगत कार्यवाही कराने हेतु प्रकरण तहत न्यायालय को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.2017 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान से राजीनामा लेकर एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 6.3.2018 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner